तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री वी. एस. राठौड़, अभिभाषक अपीलांट
श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0
श्री शोकिन्द लाल गुर्जर उप राजकीय अभिभाषक

दिनांक : 5.7.2023

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा प्रकरण संख्या 2/2002 में पारित निर्णय दिनांक 22–2–2003 के विरूद्ध धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस में कथन किया कि जिला कलक्टर बाडमेर ने दिनांक 4–3–2002 को रेस्पो.संख्या 3 के पक्ष में खसरा नंबर 482 की 1 बीघा भूमि का आवंटन होटल उद्योग हेतु किया। उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलांट्स ने धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर बाड़मेर के समक्ष पेश किया। जिस पर जिला कलक्टर बाडमेर ने दोनों पक्षों को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 20–8–2002 को खारिज कर दिया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष अपील पेश की। जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त आदेश दिनांक 20–8–2002 को अपास्त कर दिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में आवंटन को बहाल रखा। उनका तर्क है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 में जिला कलक्टर बाड़मेर को विशिष्ट प्रयोजन के लिये जैसे पशुओं के निःशुल्क चारा, गृह, वृक्ष आरोपण हेतु, आबादी विकास हेतु या किसी अन्य सार्वजनिक या नगर पालिका प्रयोजन के लिये भूमि अलग रखने का अधिकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। इसके अलावा होटल या अन्य उद्योग वगैरह के लिए भूमि आरक्षित करने का अधिकार नहीं है, जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र न तो ग्राम सभा की आम सहमति द्वारा जारी किया बल्कि अनुचित तरीके से सरपंच द्वारा जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बीसूकला का निवासी है। उसका इस भूमि पर किसी प्रकार का हक नहीं बनता है। आवंटन करने से पूर्व यह भी देखा जाना अनिवार्य है कि जिस व्यक्ति को भूमि आवंटन की जाकर ही वह व्यक्ति उस जगह, गांव या स्थान का निवासी है या नहीं। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने गत्य तथ्यों के आधार पर उक्त आवंटन करवाया है, जो आवंटन, औद्योगिक आवंटन 1959 के नियमों के तहत निरस्त किया जा सकता है, उसे निरस्त किया जावे। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–3–2002 एवं 22–2–2003 को अपास्त कर दिनांक 22–8–2002 जिला कलक्टर, बाड़मेर के रिव्यु आदेश को बहाल करने के आदेश पारित किये जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–3–2002 को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 कमलसिंह को जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान भूमि राजस्व (औघोगिक क्षेत्र के आवंटन) नियम 1959 के प्रावधानों के तहत वाके ग्राम गूँगा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 482 में से एक बीघा भूमि का आवंटन औद्योगिक प्रयोजनार्थ किया गया। उस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा लाखों रूपये खर्च कर निर्माण कार्य किया गया। उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। जहां से स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद अपीलांट्स द्वारा एक नजरसानी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर बाडमेर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तथा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को अदम पैरवी में खारिज करवा लिया। तत्पश्चात् जिला कलक्टर बाड़मेर ने अपने निर्णय दिनांक 20–8–2002 द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आदेश संख्या 2078 दिनांक 4–3–2002 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 कमलसिंह के हक में मौजा गूँगा के खसरा नम्बर 482 में एक बीघा का होटल प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कर दिया। जिला कलक्टर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 20–8–2002 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22–2–2003 द्वारा स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा रिव्यू प्रकरण संख्या 16/2002 में पारित आदेश दिनांक 20–8–2002 को निरस्त कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 4–3–2002 को बहाल रखे जाने के आदेश पारित किये। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 4–3–2002 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दी थी, ऐसे में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत नजरसानी का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था, फिर भी जिला कलक्टर ने उस नजरसानी के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के आवंटन को निरस्त किया है, जो गलत था। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22–2–2003 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के आवंटन को बहाल रखने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की। प्रथमतः जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2002 क्षेत्राधिकार के बाहर था। अलावा इसके ग्राम पंचायत द्वारा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को किये गये आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है। भूमि का आवंटन गांव की आबादी से लगभग 4 कि.मी. दूरी पर किया गया है। अपीलांट्स द्वारा राजनैतिक द्वेषता के कारण आवंटन का विरोध किया जा रहा है। आवंटन में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं है। इसलिए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमारी राय में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 22–3–2003 पारित किया गया है, वह विधि सम्मत है एवं उसमें अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–2–2003 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	